Smt. Shanta Singh
Dept. of LSW
SNSRKS College,
Saharsa

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(Industrial disputes Act, 1947)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक शांति एवं सद्भाव बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के अनुसंधान एवं समाधान की व्यवस्था करती है।

इस प्रकार औद्योगिक तनावों को कम करना तथा विवादों के निराकरण हेतु तंत्रों का प्रावधान करना इस अधिनियम का प्रधान लक्ष्य है ताकि उत्पादन में सहभागियों की शक्ति पारस्परिक विवाद में समाप्त नहीं हो तथा औद्योगिक न्याय का आश्वासन एक अच्छे सद्भाव के वातावरण में तैयार हो सके।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions):-

1. औद्योगिक विवाद (Industrial Dispute)— "औद्योगिक विवाद" से तात्पर्य कोई विवाद या मतभेद जो नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और श्रमिकों के बीच या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच उत्पन्न होता है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन या नियोजन की शर्तों या श्रम की दशाओं से जुड़ा होता है। See [2(K)]

2. उद्योग (Industry)— 'उद्योग' से तात्पर्य ऐसे क्रमबद्ध क्रियाओं से है, जो नियोजक और उसके कर्मकारों के सहयोग से, आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताओं या इच्छाओं को छोड़कर, मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए संचालित किया जाता—
(i) चाहे ऐसे कार्य के लिए कोई पूँजी लगाई गई है अथवा नहीं।
(ii) चाहे इसे लाभ के उद्देश्य से चलाया जाता हो अथवा नहीं।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत गोदी श्रमिक-बोर्ड (Dock Labour-Board) के कार्य तथा किसी प्रतिष्ठान द्वारा चलाए जा रहे विक्रय या व्यापार के कार्य, सम्मिलित होते हैं, लेकिन निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होते :—

(i) दूसरे कार्य की प्रधानता वाले समेकित रूप से चलाए जाने वाले कृषिकार्य को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के कृषि कार्य;
(ii) चिकित्सालय या औषधालय
(iii) शिक्षा, विज्ञान, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण से संबद्ध संस्थाएँ,
(iv) संगठनों के स्वामित्व अथवा प्रबंधवाली संस्थाएँ, जो पूरी तरह या स्थायी रूप से धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी सेवा में लगी हों,
(v) खादी अथवा ग्रामीण उद्योग,
(vi) सरकार के संप्रभु कार्यों से (sovereign) संबद्ध कार्य, जैसे केंद्रीय सरकार के विभागों द्वारा चलाए जानेवाले रक्षा-अनुसंधान, अणुशक्ति तथा अंतरिक्ष से संबद्ध कार्य,
(vii) घरेलू सेवा,
(viii) ऐसे कार्य, जो व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा व्यवसाय के रूप में दस से कम कर्मकारों की सहायता से चलाये जाते हों,
(ix) किसी सहकारी संस्था या क्लब या इस तरह की अन्य संस्था द्वारा किया जाने वाला ऐसा कार्य, जिसके लिए दस से कम व्यक्ति नियोजित हों। [See 2(j)]

3. औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम —

'औद्योगिक प्रतिष्ठान, या 'उपक्रम' से ऐसे प्रतिष्ठान या उपक्रम का बोध होता है, जिसमें कोई उद्योग संचालित किया जाता है। अगर किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम की कोई एक इकाई उद्योग है और उसे अन्य इकाईयों से अलग किया जा सकता है, तो केवल उद्योग वाली अन्य इकाई को औद्योगिक

प्रतिष्ठान या उपक्रम समझा जाएगा। जहाँ किसी प्रतिष्ठान या उपक्रम की सभी इकाईयाँ उद्योग हों और जहाँ गैर-औद्योगिक कार्यों को अलग नहीं किया जा सकता तथा वे उद्योग की सहायता के लिए किए जा रहे हों, तो उनमें प्रत्येक इकाई को या पूरे प्रतिष्ठान या उपक्रम को उद्योग समझा जाएगा। [Sec 2(ka)]

4. 'कर्मकार' (Workman)- 'कर्मकार' से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है, जो किसी उद्योग में कौशलपूर्ण या कौशलरहित शारीरिक, पर्यवेक्षी (supervisory) तकनीकी या लिपिक-संबंधी कार्य भाड़े (hire) या पुरस्कार (reward) पर करने के लिए नियोजित है, चाहे उसके नियोजन की शर्तें स्पष्ट हों या अस्पष्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए 'कर्मकार' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी आता है, जिसे किसी विवाद के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो या जिसकी छँटनी कर दी गई हो। 'कर्मकार' के अन्तर्गत शिक्षु (apprentice) आते हैं, लेकिन निम्नलिखित नहीं आते-

(i) स्थल सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 या नौ सेना अधिनियम, 1957 के अधीन आनेवाले व्यक्ति,

(ii) पुलिस- सेवा या कारावास में पदाधिकारी या कर्मचारी के रूप में नियोजित व्यक्ति,

(iii) मुख्यतः प्रबंधकीय या शासकीय हैसियत में नियुक्त व्यक्ति,

(iv) पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित ऐसे व्यक्ति, जो 1600 रु० प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पाते हों या अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों या उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के ही कार्य करते हैं। [Sec 2(s)]

5. हड़ताल (Strike)- 'हड़ताल' का अर्थ है किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या नियोजित या नियोजन में लगे व्यक्तियों द्वारा किसी काम

Scanned with CamScanner

को काम करते रहने या नियोजन स्वीकार करने से इन्कार करना।

[sec 2(q)]

6. तालाबंदी (Lock-out)- 'तालाबंदी' का अर्थ है नियोजक द्वारा अस्थायी रूप से नियोजन के स्थान को बंद कर देना या काम का निलंबन करना या अपने द्वारा नियोजित किसी संख्या में व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इन्कार करना।

[sec 2(L)]

7. कामबंदी या जबरी छुट्टी (Lay-off) – 'कामबंदी' का अर्थ है- किसी नियोजन द्वारा कोयले, बिजली, कच्चे माल की कमी या स्टॉक जमा होने या यंत्र-भंग या प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण ~~वश~~ किसी ऐसे कर्मकार को नियोजन देने से इन्कार करना या इसके लिए असफल या असमर्थ होना, जिसका नाम उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के मस्टर रोल (muster roll) में दर्ज है तथा जिसकी छंटनी नहीं हुई है।

[sec 2 kkk]

8. छंटनी (Retrenchment) – 'छंटनी' का अर्थ होता है – नियोजक द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड को छोड़कर किसी अन्य कारण से किसी कर्मकार की सेवा की समाप्ति लेकिन 'छंटनी' में निम्नलिखित शामिल नहीं होते –

(i) कर्मकार की स्वेच्छा पूर्वक निवृत्ति,

(ii) वृद्धावस्था की उम्र हो जाने पर कर्मकार की निवृत्ति, अगर नियोजक और संबंधित कर्मकार के बीच नियोजन की संविदा में इस आशय का कोई अनुबंध हो।

(iii) नियोजक और कर्मकार के बीच नियोजन की संविदा के नवीकरण (renewal) नहीं होने के कारण या संविदा की समाप्ति के कारण कर्मकार की सेवा की समाप्ति,

(iv) निरंतर बुरे स्वास्थ्य के आधार पर कर्मकार की सेवा की समाप्ति।

[sec 2(oo)]

Scanned with CamScanner

9. लोकोपयोगी सेवा (Public Utility Service)-

'लोकोपयोगी सेवा' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) रेलसेवा या वायुमार्ग द्वारा यात्री अथवा माल को ले जाने के लिए कोई परिवहन-सेवा,

(ii) किसी महापत्तन (major port) या सेवा में या उससे संबद्ध सेवा,

(iii) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का ऐसा कोई अविभाग, जिसमें काम होते रहने पर उस प्रतिष्ठान की या उसमें नियोजित कर्मकरों की सुरक्षा निर्भर करती है।

(iv) कोई डाक, तार या टेलिफोन-सेवा,

(v) जनता को शक्ति, प्रकाश या जल की आपूर्ति करने वाला कोई उद्योग।

(vi) लोकशौच या सफाई की कोई पद्धति।

अधिनियम की पहली अनुसूची में कुछ ऐसे उद्योगों को उल्लेख किया गया है, जिन्हें समुचित सरकार लोक-आपात (public emergency) या लोकहित के ध्यान में रखते हुए लोकोपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। इनमें किसी उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित करने के पहले राजकीय गजट में अधिसूचना जारी करना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner